न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 22/22 सन् 2022

RCMS NO-2022/ 260

बउनवानीः—1.हेमराज पुत्र स्व0 श्री सांवल्या उर्फ सांवलराम जाति मीना निवासी ग्राम आटून खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री सांवल्या मीना निवासी ग्राम आटून खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
2. कानजी पुत्र श्री सांवल्या मीना निवासी ग्राम आटून खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
3. रामराज पुत्र श्री सांवल्या मीना निवासी ग्राम आटून खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
4. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 09.01.2002 वाके ग्राम आटूण खुर्द, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता — वकील अपीलान्ट

2. श्री चेतीराम मीना — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— **दिनांक 31.5.2024**

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 09.01.2002 वाके ग्राम आटूण खुर्द, तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 आपस मे खास भाई है जो सावंल्या पुत्र कल्याण मीना के पुत्र है तथा अपीलान्ट व रेस्पो. की माता श्रीमति रकमणी देवी का देहान्त हो गया है। सावंल्या का देहान्त होने पर उसकी विरासत का नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 9.1.2002 वाके ग्राम आटूनखुर्द अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के नाम से नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा के नाम तस्दीक किया गया है परन्तु उक्त नामा0 भरते समय पटवार हल्का ने गलती से अपीलान्ट के सही नाम हेमराज के स्थान पर खेमचन्द दर्ज कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 तस्दीक करते समय अपीलान्ट मात्र 15 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 22/2022 उनवानी हेमराज बनाम रामप्रसाद वगै.)

नाबालिग था जिसको नामा0 खुलवाने के बारे मे समझ नही थी। अपीलान्ट का शुरू से ही हेमराज नाम था खेमचन्द नही था कथन के समर्थन मे सही नाम हेमराज होने से संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत किये गये है जिनमे अपीलान्ट का नाम हेमराज पुत्र सांवल्या उर्फ सांवलराम ही अंकित है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे नाम जुडवाने हेतु पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल लेने हेतु जाने पर दिनांक 26.11.2022 को पटवारी हल्का द्वारा मेरा नाम हेमराज के स्थान पर खेमचन्द होना बताये जाने पर प्राप्त हुई है। जानकारी से नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 15 दिनांक 9.1.2002 को तस्दीक करते समय उक्त नामा0 में अपीलान्ट नाम हेमराज के स्थान पर खेमचन्द कर दिया है यदि उक्त नामा0 मे अपीलान्ट का नाम सही कर दिया जाता है तो हम रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है तथा अपीलान्ट का नाम सही करने से हम रेस्पो0 का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा विवादित नामा0 में अपीलान्ट का नाम हेमराज के स्थान पर खेमचन्द कर दिये जाने बाबत कथन करते हुए अपीलान्ट का सही नाम हेमराज होना बताया है एवं अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि से अपीलान्ट का सही नाम हेमराज होने की आंशिक पुष्टि होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्व होता है कि नामा0 संख्या 15 मे अपीलान्ट का सही नाम नही होने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 15 निर्णय दिनांक 9.1.2002) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को अपना सही नाम हेमराज होने की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner